

अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं,
पत्रावली दिनांक... 16.08.21.....
को पेश हो।

16/8/21

पुनः पेश
कारण के
अधिकार
का हस्तांतरण
इसके द्वारा
Not Adm
Mas ch
16-8-21

वकील जल्दी से वकील जल्दी ज ज
पुनः पेश करने के अधिकारी को सुरक्षित
रखती हुए Not प्रेश करती हैं लिखना
प्रत्येक पत्र पर A वकील जल्दी से वकील
Not प्रेश आधा जल्दी से जल्दी से
खाकि किया जाता है / तथा न्यायालय
द्वारा जारी अन्वयम विधेयका दिनांक
30.06.2017 को किरस्ता किया जाता है /
पत्रावली केसल में शुभा (दीक) मूल वाद
बिलक रहे।



उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर